

प्रेस विज्ञप्ति

थाना अतरौलिया

पाक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार

अतरौलिया थाना क्षेत्र की वादिनी जब नंदना बैंक से अपने दादी के साथ घर आ रही थी तो घर के पास पहुचने पर अभियुक्त बृजमोहन उर्फ गोली पुत्र दुर्गेश उपरोक्त द्वारा वादिनी का जबरन हाथ पकड़कर खीचना तथा छेड़खानी करना विरोध करने पर ईट पत्थर से मारना पीटना तथा शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाना । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 9/9/2020 को मु0अ0 सं0 106/20 धारा 323/336/506/354 ipc व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त बृजमोहन उर्फ गोली पुत्र दुर्गेश ग्राम टंडवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभि0 व वारण्टी की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2020 को मुखबीर की सूचना पर उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह का0 राजेन्द्र कुशवाहा, का0 विनोद यादव द्वारा समय 11.00 बजे बस स्टैण्ड अतरौलिया से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 106/20 धारा 323/336/506/354 ipc व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

बृजमोहन उर्फ गोली पुत्र दुर्गेश ग्राम टंडवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह का0 राजेन्द्र कुशवाहा, का0 विनोद यादव

थाना तरवाँ

एक अदद कड़ा व एक अदद कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभि0 व वारण्टी की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.09.2020 अपराध निरीक्षक महोदय तरवाँ के निर्देशन में उ0नि0 अकीक अहमद व उ0नि0 रमेश पाण्डेय मय फोर्स के साथ अभियुक्त अमरनाथ राम पुत्र श्यामनरायन ग्राम अवनी थाना तरवा आजमगढ़ को एक अदद कड़ा व एक अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0 148/2020 धारा 3/25 A.ACT पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभि0-

1. अमरनाथ राम पुत्र श्यामनरायन ग्राम अवनी थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़

बरामदगी -

1. एक अदद कड़ा व एक अदद कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 148/2020 धारा 3/25 A.ACT थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम के कर्मचारीगण -

1. उ0नि0 श्री अकीक अहमद
2. उ0नि0 श्री रमेश पाण्डेय मय फोर्स

थाना- बरदह

10 लीटर अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 9.9.2020 को उ0नि0 विष्णुप्रसाद मिश्र मय हमराह का0 विनोद मौर्या का0 नवीन पाण्डेय के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन तथा पेण्डिंग विवेचना व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन में वांछित अभि0गण की गिरफ्तारी के क्रम में ग्राम गोडहरा में रात्री गश्त में मामूर थे कि एक व्यक्ति ग्राम गोडहरा की तरफ से हाथ में जरिकेन लेकर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस

वालो को देखकर पीछे मुडकर भगने लगा कि शक होने पर पुलिस द्वारा करीब 20-25 कदम की दुरी पर घेर कर पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पुछा गया तो अपना नाम अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना पुत्र जमील ग्राम खरगीपुर थाना बरदह आजमगढ बताया तथा हाथ मे लिये सफेद रंग के जरिकेन से 10 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ। पकडे गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बता कर मौके पर समय करीब 01.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। तथा स्थानीय थाना पर मु0अ0सं0 215/2020 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 215/2020 धारा 60 आबकारी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना पुत्र जमील ग्राम खरगीपुर थाना बरदह आजमगढ

बरामदगी-

10 अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विष्णुप्रसाद मिश्र मय हमराह का0 विनोद मौर्या का0 नवीन पाण्डेय